

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

इन्द्रजीत कुमार एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 4906

23 जून, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान)

विचार के लिए मुद्दा

क्या उप न्यायाधीश के पास भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत उत्पन्न भूमि अधिग्रहण वाद की सुनवाई करने का अधिकार था, जबकि उसके बाद न्यायसंगत मुआवजा एवं भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 लागू हो चुका था?

हेडनोट्स

याचिकाकर्ता का मामला पूर्णतः 1894 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। उसकी भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2006-07 में किया गया, अवार्ड वर्ष 2009 में तैयार हुआ और याचिकाकर्ताओं ने 26 नवम्बर, 2009 को उक्त अवार्ड के अंतर्गत निर्धारित मुआवजा राशि विरोध दर्ज करते हुए प्राप्त की। तत्पश्चात, मुआवजा राशि बढ़ाने के संदर्भ में वाद दायर किया गया, जिसे उप न्यायाधीश की अदालत में भूमि अधिग्रहण वाद के रूप में पंजीकृत किया गया। वर्तमान याचिकाकर्ताओं का मामला स्पष्ट रूप से पुराने अधिनियम के अंतर्गत आता है और आरएफसीटीएलएआरआरए की धारा 114(2) तथा सामान्य उपबंध अधिनियम की धारा 6 के संयुक्त प्रभाव से यह वाद केवल उप न्यायाधीश के समक्ष ही चलेगा, किसी अन्य न्यायालय के समक्ष नहीं। उप न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है। (पैरा 9, 11, 12)

उप न्यायाधीश को याचिकाकर्ताओं का मामला सुनने का निर्देश दिया जाता है। याचिका स्वीकार की जाती है। (पैरा 13, 15)

न्याय दृष्टान्त

उल्लेख नहीं।

अधिनियमों की सूची

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894; उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता के साथ भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013; सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897

मुख्य शब्दों की सूची

भूमि अधिग्रहण; अधिकार क्षेत्र; क्षतिपूर्ति; आरएफसीटीएलएआरआरए, 2013; सुरक्षित उपबंध; सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897

प्रकरण से उत्पन्न

01.11.2017 के दीवानी न्यायाधीश-1, बेगूसराय के आदेश से उत्पन्न, भूमि अधिग्रहण वाद संख्या 06/2010

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता ; श्री रघुबीर चंद्रायन, अधिवक्ता
पी. एच. सी. की ओर से : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता; श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री धुर्जती कुमार प्रसाद, जी पी-15

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 4906

=====

1. इंद्रजीत कुमार, पिता-सुरेश चंद्र चौधरी, निवासी वार्ड सं.3, मेहान, डाकघर-डंडारी, थाना-डंडारी, जिला-बेगूसराय
2. प्रेमजीत कुमार, पिता-सुरेश चंद्र चौधरी, वार्ड सं.3, मेहान, डाकघर डंडारी, थाना-डंडारी, जिला-बेगूसराय

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. निदेशक-सह-विशेष सचिव, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. पीठासीन अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन न्यायाधिकरण, मुंगेर प्रभाग, मुंगेर
4. महापंजीयक के माध्यम से माननीय पटना उच्च न्यायालय
5. महापंजीयक, माननीय पटना उच्च न्यायालय

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता
	:	श्री रघुबीर चंद्रायन, अधिवक्ता
पी. एच. सी. की ओर से	:	श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता
	:	श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री धुर्जती कुमार प्रसाद, जी पी-15

=====

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक निर्णय

दिनांक:23-06-2023

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका 2010 के भूमि अधिग्रहण वाद सं. 06 में उप न्यायाधीश-1, बेगूसराय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उप न्यायाधीश-1, बेगूसराय के न्यायालय को 2010 के भूमि अधिग्रहण वाद सं. 06 की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 2006-07 में शुरू की गई थी और पंचाट (पंचाट) 26.11.2009 को तैयार किया गया था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ताओं को पंचाट के अनुसार भुगतान 26.11.2009 को विरोध सहित प्राप्त हो गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मुआवजे की राशि के मुद्दे पर, याचिकाकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद '1894 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत संदर्भ दिया है, जिसे 2010 के अधिग्रहण मामला सं. 06 के रूप में क्रमांकित किया गया था। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अनुलग्नक-5 के अनुसार, 25 मार्च, 2017 को पटना उच्च न्यायालय, पटना के महापंजीयक के हस्ताक्षर के तहत एक पत्र

जारी किया गया है, जिसमें भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मुआवजे के भुगतान से संबंधित पूरे अभिलेख को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मामलों (संक्षेप में 'एल ए आर आर ए' के रूप में नामित) की अध्यक्षता करने वाले न्यायालयों को प्रेषित करने का निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 25 मार्च, 2017 के उक्त पत्र के अनुपालन में, याचिकाकर्ता का वाद एल. ए. आर. ए. के समक्ष स्थानांतरित कर दिया गया और 2016 के एल. ए. आर. ए. वाद सं. 16 के रूप में दर्ज किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एल. ए. आर. आर. ए. ने दिनांक 13.01.2017 के आदेश के माध्यम से मामले को उप न्यायाधीश-1, बेगुसराय को वापस भेज दिया है, जो अपने आदेश में संकेत देता है कि चूंकि यह वाद 1894 के अधिनियम के अनुसार भूमि का अधिग्रहण से संबंधित है, इसलिए, इस मामले की सुनवाई करने के लिए केवल व्यवहार न्यायलय, बेगुसराय ही सक्षम है और एल. ए. आर. ए. के पास इस मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने इस मामले की सुनवाई के लिए उप न्यायाधीश-1, बेगुसराय के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिस पर उप न्यायाधीश-1, बेगुसराय की अदालत ने 01.11.2017 को आदेश पारित किया और माना कि उप न्यायाधीश-1, बेगुसराय की अदालत को इस मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के पास 2010 के भूमि अधिग्रहण वाद सं. 06 में उप न्यायाधीश-1, बेगुसराय द्वारा पारित दिनांक 01.11.2017 के आदेश को चुनौती देने के लिए इस अदालत में आवेदन करने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है।

4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि अभिलेख पर राज्य की ओर से इस मामले में कोई जवाबी हलफनामा नहीं है, क्योंकि यह एक विशुद्ध रूप से कानूनी वाद है जिसमें कानूनों की व्याख्या का प्रश्न शामिल है, इसलिए, राज्य की ओर से कोई जवाबी हलफनामा दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून के मुद्दे पर, वे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्कों और दलीलों के अनुसार, यह

बिलकुल स्पष्ट है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही, पंचाट और संदर्भ जिसके परिणामस्वरूप 2010 का वर्तमान भूमि अधिग्रहण वाद सं. 06 1894 के अधिनियम से संबंधित है। इसलिए, संविधि के अनुसार, उनका कहना है कि इस मामले को पुराने कानून के अनुसार, और पुराने कानून के तहत उप न्यायाधीश-1, बेगुसराय को इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार है और उन्हें सुनवाई करनी चाहिए।

5. पटना उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रशासनिक पक्ष के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख बहुत स्पष्ट है और इस संबंध में, दिनांक 25.03.2017 का एक पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है जिसे अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न किया गया है जिसमें बिहार के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मुआवजे के भुगतान से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम यानी एल. ए. आर. आर. ए. की अध्यक्षता करने वाले न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 08.07.2016 को एक पत्र भी जारी किया गया था जिसे अनुलग्नक-4 के रूप में संलग्न किया गया है जिसमें धारा 64 के साथ पठित धारा 24 (1) और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (आगे आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. ए. के रूप में संदर्भित) की धारा 11 पर चर्चा की गई है, और यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित जिला न्यायालय में लंबित आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. आर. ए. के तहत आने वाले सभी मामलों को एल. ए. आर. आर. ए. को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

6. दलीलों को देखने और तर्कों को सुनने के साथ-साथ कानून की स्थिति पर विचार करने के बाद, इस मामले के निर्णय के लिए कानून के प्रासंगिक प्रावधान, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता

का अधिकार अधिनियम, 2013 (आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. ए.) की धारा 114 को फिर से लिखना आवश्यक है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं-

114. निरसन और बचाव।-(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, उप-धारा (1) के तहत निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के साधारण अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

7. आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. ए. की धारा 114 (2) की उचित व्याख्या के लिए, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 पर चर्चा करना आवश्यक है, साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान में कहा गया है:

6. निरसन का प्रभाव।—जहां यह अधिनियम, या इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया कोई 4 [केंद्रीय अधिनियम] या विनियमन, अब तक बनाये गए या इसके बाद बनाये जाने वाले किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है, वहां, तब तक, जब तक कि कोई भिन्न आशय प्रकट न हो, निरसन...

(क) ऐसी किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित करना जो उस समय लागू या विद्यमान नहीं हो जब निरसन प्रभावी होता है; या

(ख) इस प्रकार निरस्त किए गए किसी अधिनियम या उसके तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी कार्य के पिछले संचालन को प्रभावित करता है; या

(ग) इस प्रकार निरस्त किये गए किसी भी अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपगत किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, कर्तव्य या दायित्व को प्रभावित करता है; या

(घ) इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी भी दंड, जब्ती या सजा को प्रभावित करता है; या

(ङ) उपरोक्त किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, कर्तव्य, दायित्व, दंड, जब्ती या सजा के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित करता है;

और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय को स्थापित किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और ऐसा कोई जुर्माना, जब्ती या सजा इस तरह से लगाई जा सकती है जैसे कि निरसन अधिनियम या विनियमन पारित ही न हुआ हो।

8. इस मामले को तय करने के लिए कुछ तथ्यात्मक आधार हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है।

9. याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से 1894 के अधिनियम के कानून के तहत आता है। उनकी भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2006-07 में किया गया था, वर्ष 2009 में पंचाट तैयार किया गया था और याचिकाकर्ताओं को पंचाट के तहत उल्लिखित मुआवजे का भुगतान 26 नवंबर, 2009 को विरोध के साथ प्राप्त हुआ। इसके बाद, मुआवजे की मात्रा बढ़ाने के संदर्भ में राजी किया गया और उक्त मामला 2010 का भूमि अधिग्रहण वाद संख्या 06 के रूप में उप न्यायाधीश-1, बेगुसराय के न्यायालय के समक्ष दर्ज किया

गया। यह भी स्वीकार किया जाता है कि एक नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम अधिनियमित किया गया है और भारत के राजपत्र असाधारण सं. 40 भाग-II दिनांक 27.09.2013 में प्रकाशित किया गया है। आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. ए. की धारा 114 (1) के आधार पर, 1894 का अधिनियम निरस्त कर दिया गया है।

10. ऊपर उल्लिखित आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. ए. की धारा 114 (2) को पढ़ने पर यह बिलकुल स्पष्ट है कि यह धारा 114 (2) निरसन का एक बचाव खंड मात्रा है, जिसमें कहा गया है कि आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. ए. की धारा 114 (1) निरसनों के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी या प्रभावित नहीं करेगी और साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 (बी) में कहा गया है कि निरसन इस प्रकार किसी भी निरस्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन अधीन किये गए या सहन किये गए किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा धारा 6 (ई) में कहा गया है कि निरसन किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, ज़ब्त या सजा के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय को प्रभावित नहीं करेगा।

11. अर्थात्, वे मामले जो पूरी तरह से पुराने अधिनियम के अंतर्गत आते हैं; वे व्यक्ति जो पुराने अधिनियम के तहत अपने अधिकारों और कानूनी उपायों का लाभ उठाना चाहते हैं, और जिनकी कार्यवाही पुराने अधिनियम के तहत लंबित है, वे पुराने अधिनियम के अनुसार ही चलेंगे। अर्थात्, वर्तमान याचिकाकर्ताओं का वाद जो आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. ए. की धारा 114 (2) और साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्ति के आधार पर पुराने अधिनियम के तहत पूरी तरह से शामिल था, केवल उप न्यायाधीश-1 के समक्ष चलेगा न कि किसी अन्य न्यायालय के समक्ष।

12. इस पृष्ठभूमि में 2010 के भूमि अधिग्रहण मामले में उप न्यायाधीश-1,

बेगुसराय द्वारा पारित दिनांक 01.11.2017 का आदेश एतद्वारा दरकिनार किया जाता है।

13. उप न्यायाधीश-1, बेगुसराय को याचिकाकर्ताओं के मामले की सुनवाई कानून के अनुसार करने का निर्देश दिया जाता है।

14. उत्तरदाता सं. 5, अर्थात् महापंजीयक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत और आर. एफ. सी. टी. एल. ए. आर. ए. की धारा 114 (2) के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 25 मार्च, 2017 के पत्र का अनुसमर्थन करने का निर्देश दिया जाता है।

15. इस निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है। कार्यालय को यह आदेश पटना में उच्च न्यायालय के महापंजीयक के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

(डॉ. अंशुमान, न्यायमूर्ति)

रितिक/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।